

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

09 अगस्त, 2017 (ई०)

बुधवार, तिथि-

[दशम्(मानसून)सत्र]

18 श्रावण, 1939 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारंकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04)- सर्वश्री योगेन्द्र प्रसाद, पौलुस सुरीन एवं श्री निरल पुरती, स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (05)- सर्वश्री दीपक विरूवा, जगरनाथ महतो एवं श्री कुणाल षड़ंगी, स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (06)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07)- सर्वश्री निर्भय कुमार शाहाबादी, ग्लेन जोसेफ गॉलस्टोन एवं जय प्रकाश सिंह भोगता, स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

कृ०पृ०उ

(08)-श्री शिवशंकर उरांव,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

--:संदेश:-

(09)-माननीय अध्यक्ष द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908(संशोधन), विधेयक,2016एवं संधाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक अनुबंध)अधिनियम 1949(संशोधन)विधेयक,2016के क्रम में प्राप्त माननीया राज्यपाल महोदया से प्राप्त संदेश का पढा जाना।

--: समितियों का गठन :-

(10)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

--: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(11)- संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय, द्वारा भारत के संविधान की धारा-323(2)में किए गए प्रावधान के अधीन झारखण्ड लोक सेवा आयोग राँची से प्राप्त वित्तीय वर्ष-2015-16(अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक)का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(12)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(13)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

--: वित्तीय-कार्य :-

(14)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह-वित्त) श्री रघुवर दास द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।

(15)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य0का0सू0-05/2017-...../वि0स0,राँची,दिनांक-...08.अगस्त,2017 ई0।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ030/-

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१७-२३७७/वि०स०,राँची,दिनांक-०८.अगस्त,२०१७ ई०।
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय
को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(Handwritten signature)
०८/०८/२०१७

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०१७-२३७७/वि०स०,राँची,दिनांक-०८.अगस्त,२०१७ ई०।
प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)
०८/०८/२०१७

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

(Handwritten signature)
०८/०८/१७

प्रति-प्रतिलिपि :-

- १. सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
- २. प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
- ३. अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
- ४. सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
- ५. सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
- ६. सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
- ७. सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
- ८. सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
- ९. सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
- १०. सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

राँची प्रमुख कार्यालय
राँची विभाग

। वि०, सभा, राँची, झारखण्ड

१०८५ १०८५, राँची-३६, कांठार, वि०, ०८/०८/२०१७
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।
राँची विभाग के कार्यालय में प्रेषित।

(Handwritten signature)
(सरोज कुमार)
अवर सचिव

। वि०, सभा, राँची, झारखण्ड